(1)

माननीय राजस्व मण्डल संभाग ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

I/निगरानी/सागर/भू०रा०/2017/1764

दिनांक 15-6-17 को श्री [illegible] श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत

15-6-17

पवन कुमार भट्ट पुत्र श्री नारायण दास भट्ट (ब्राह्मण) आयु 40 वर्ष, निवासी– वार्ड नं. 7 नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0.......................निगरानीकर्ता

बनाम

1. भुमानीदीन पुत्र खुमान अहिरवार निवासी– ग्राम बडागॉव तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0
2. पुनिया पुत्री टिरिया अहिरवार निवासी– जगसया (पसानाबाद) थाना अजसर महोबा जिला छतरपुर म0प्र0
3. केसर पुत्री टिरिया अहिरवार निवासी हीरापुर थाना अजसर तहसील कुल पहाड जिला मटेवा जिला छतरपुर म0प्र0
4. मानकुंवर पुत्री स्व. नैना अहिरवार संरक्षक नाना गोटीराम पुत्र मौना चमार सा सडेरी तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

..........प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता 1959

2017 APRIL- 312

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/1764 जिला – सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुन्दरम श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आवेदक के पक्ष में जो पंजीकृत विक्रय–पत्र बताया जा रहा है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के बाद का है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	